Seventeenth Loksabha

an>

Tilte: Pollution due to illegal stone crushing in Chikhaldara Hill Station. The Minister of Environment, Forest and Climate change Shri Prakash Javadekar responded.

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आज इस विषय पर बात करना चाह रही हूं कि हमारे चिखलदरा में एक हिल स्टेशन है और यहां पर पर्यावरण मंत्री जी बैठे हुए हैं । चिखलदरा विदर्भ का सबसे बड़ा हिल स्टेशन है । आज चिखलदरा हिल स्टेशन में अवैध तरीके से जो स्टोन क्रशर शुरु हुए हैं, उनकी वजह से वहां पर रहने वाले प्राणियों के लिए और वहां पर जितने भी पर्यटक आते हैं, उन सभी के स्वास्थ्य के साथ खेलने जैसा काम हो रहा है । सरकारी जमीनों पर क्रशर चल रहा है । स्टोन क्रशर की ब्लास्टिंग की वजह से वहां पर जो आने वाले पर्यटक और जानवर हैं, वहां पर ब्लास्टिंग की वजह से धूल उड़ती है, वहां पर उन लोगों के साथ आरोग्य के धोखे का निर्माण हो रहा है ।

उसी तरीके से अमरावती महानगर पालिका के पास केवल चार किलोमीटर की दूरी पर राजुरा, परसोडा, मासोद और इंदला अमरावती, इन गांवों में इल्लीगल तरीके से सरकारी जमीनों पर स्टोन क्रशर का काम किया जा रहा है । यहां पर बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग की जाती है । ब्लास्टिंग की वजह से यहां के पानी का स्तर नीचे चला गया है और लोगों के सामने पानी की समस्या उत्पन्न होने के कारण उनको पानी टैंकरों से लाना पड़ता है । मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से यह मांग करती हूं कि इन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दाखिल की जाए और उनकी मशीनरियां जब्त की जाएं और उनसे दस गुना रेवेन्यू वसूल किया जाए । चिखलदरा एक हिल स्टेशन है, यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीनों पर जितने भी क्रशर चल रहे हैं, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए । मैं आपसे इतनी विनती करती हूं ।